LCMS Portal No:- 2026/219

FORM NO -II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकाम नागौर

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थी**

राजस्थान सरकार जरिये
श्री सुरेश चौधरी पु.नि.
थानाधिकारी पुलिस थाना,
गोटन,जिला–नागौर

प्रथम पक्ष
1. श्री रामअवतार पुत्र मांगीलाल,जाति–जाट
2. श्री सीताराम पुत्र मांगीलाल जाति–जाट,निवासीगण–बासनी सेजा पुलिस थाना गोटन जिला–नागौर

द्वितीय पक्ष
1. श्री बस्तीराम पुत्र मांगीलाल जाति–जाट निवासी–बासनी सेजा पुलिस थाना गोटन हाल ए–383 वैशाली नगर जयपुर पुलिस थाना वैशाली नगर,जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र **संख्या** 14 **सन्** 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुए
09.04.2026	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि सरकार जरिये सुरेश चौधरी पु.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना, गोटन जिला नागौर द्वारा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 164, 165 बीएनएसएस 2023 विरूद्व गैर सायलान प्रथम पक्ष श्री रामअवतार वगैराह एवं द्वितीय पक्ष श्री बस्तीराम के न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, मेड़ता में पेश कर मौजा गंठिया के खेत खसरा नम्बर 1300,44,51,606,607 को धारा 164 बीएनएसएस के तहत कुर्क किया जाकर धारा 165 बीएनएसएस के तहत रिसीवर नियुक्त किये जाने का निवेदन किया है। न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, मेड़ता में प्रकरण संख्या 04/2025 दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जरिये नोटिस वास्ते जबाब एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु तलब किया गया। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 16.03.2026 को पीठासीन अधिकारी ने आदेशिका में यह अंकित किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को इस निवेदन के साथ भिजवाया हैं कि गैर सायल प्रथम पक्ष श्री रामअवतार ने पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने की उम्मीद का प्रार्थना–पत्र पेश किया हैं। पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में सुनवाई किया जाना उचित नहीं समझते हैं। पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट,मेड़ता के पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। इस प्रकरण में गैर सायल पार्टी संख्या 2 श्री बस्तीराम ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.04.2026 को पेश कर उक्त प्रकरण के नियमानुसार शीघ्र निस्तारण हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रकरण के गैर सायल प्रथम पक्ष ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने की मंशा प्रकट की हैं। गैर सायल पार्टी संख्या 2 ने प्रार्थना–पत्र पेश कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया हैं तथा पीठासीन अधिकारी ने भी उक्त प्रकरण में इन आरोपो के बीच सुनवाई किया जाना उचित नहीं होना जाहिर किया हैं। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अध्ययन किये जाने के पश्चात् एवं गैर सायल पक्ष को एवं पीठासीन अधिकारी को प्रकरण अन्य न्यायालय में मुंतकिल किये जाने में आपत्ति नहीं होने से न्यायहित में न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, मेड़ता से उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित समझते हैं। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 451 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में इस प्रकरण पत्रावली को न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, मेड़ता से न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, रियाबड़ी में आगामी सुनवाई हेतु मुन्तकिल (स्थानान्तरण) किया जाता हैं। न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, रियांबड़ी को मूल पत्रावली उक्त आदेश की पालना में सुनवाई हेतु भेजी जावें तथा इस आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता को दी जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर	